



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

website: www.res.uk.gov.in

Phone No. 0135-2976444

पत्रांक:- 484 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री बालम सिंह, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड बागेश्वर (दुर्गम) से कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल नैनीताल (सुगम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ग) के अनुसार किया जाता है।

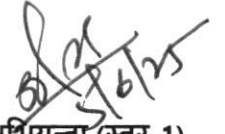
- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री बालम सिंह, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड बागेश्वर से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल नैनीताल से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पिथौरागढ़/नैनीताल।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड बागेश्वर/।
- 5- जिलाधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल।
- 8- श्री बालम सिंह, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड बागेश्वर।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

website: www.res.uk.gov.in

Phone No. 0135-2976444

पत्रांक:- 487 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत **श्री संजय कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)** का स्थानान्तरण **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पिथौरागढ़ (दुर्गम)** से **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल (सुगम)** में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ग) के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार **16 जून, 2025** के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- **श्री संजय कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)** का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पिथौरागढ़ से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि **13 जून, 2025** तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि **16 जून, 2025** होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के **तीन दिन** के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

**मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पिथौरागढ़/नैनीताल।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पिथौरागढ़/नैनीताल।
- 5- जिलाधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
- 8- श्री संजय कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पिथौरागढ़।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 491 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

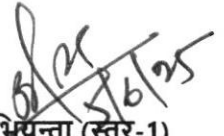
लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत **श्री सुनील डुंगराकोटी, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)** का स्थानान्तरण **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत (दुर्गम)** से **कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमाँऊ मण्डल भीमताल (नैनीताल) (सुगम)** में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ग) के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार **16 जून, 2025** के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- **श्री सुनील डुंगराकोटी, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)** का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमाँऊ मण्डल भीमताल (नैनीताल) से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि **13 जून, 2025** तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि **16 जून, 2025** होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के **तीन दिन** के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

**मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पिथौरागढ़/।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत/।
- 5- जिलाधिकारी, चम्पावत/नैनीताल।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत/नैनीताल।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत/नैनीताल।
- 8- श्री सुनील डुंगराकोटी, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

website: www.res.uk.gov.in

Phone No. 0135-2976444

पत्रांक:- 495 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

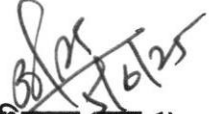
लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री मनोज सिंह, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड रूद्रप्रयाग (दुर्गम) से कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून (सुगम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ग) के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार **16 जून, 2025** के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- **श्री मनोज सिंह, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)** का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड रूद्रप्रयाग से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि **13 जून, 2025** तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि **16 जून, 2025** होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के **तीन दिन** के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

**मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।**प्रतिलिपि:-****निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पौड़ी/देहरादून।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड रूद्रप्रयाग/।
- 5- जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग/देहरादून।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/देहरादून।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग/देहरादून।
- 8- श्री मनोज सिंह, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड रूद्रप्रयाग।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

website: www.res.uk.gov.in

Phone No. 0135-2976444

पत्रांक:- 500 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

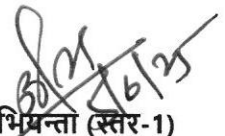
लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री राकेश चन्द्र, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड रूद्रप्रयाग (दुर्गम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ग) के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री राकेश चन्द्र, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड रूद्रप्रयाग से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।**प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पौड़ी/पौड़ी।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली/रूद्रप्रयाग।
- 5- जिलाधिकारी, चमोली/रूद्रप्रयाग।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, चमोली/रूद्रप्रयाग।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/रूद्रप्रयाग।
- 8- श्री राकेश चन्द्र, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

website: www.res.uk.gov.in

Phone No. 0135-2976444

पत्रांक:- 503 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत **श्री भगवती प्रसाद टम्टा, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)** का स्थानान्तरण **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल नैनीताल (सुगम)** से **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार (सुगम)** में शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार **16 जून, 2025** के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- **श्री भगवती प्रसाद टम्टा, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)** का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल नैनीताल से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि **13 जून, 2025** तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि **16 जून, 2025** होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के **तीन दिन** के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

**मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल नैनीताल/देहरादून।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड /हरिद्वार।
- 5- जिलाधिकारी, नैनीताल/हरिद्वार।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल/हरिद्वार।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/हरिद्वार।
- 8- श्री भगवती प्रसाद टम्टा, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल नैनीताल।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

website: www.res.uk.gov.in

Phone No. 0135-2976444

पत्रांक:- 519 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री वेद भूषण ढौंडियाल, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून (सुगम) से कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून (सुगम) में शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री वेद भूषण ढौंडियाल, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कर्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कर्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कर्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कर्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कर्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

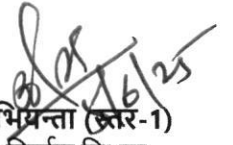
मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून/।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून/मुख्यालय देहरादून।
- 5- जिलाधिकारी, देहरादून/देहरादून।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून/देहरादून।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/देहरादून।
- 8- श्री वेद भूषण ढौंडियाल, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।